न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस नंबर 2025/1408

1. जितेन्द्र मीणा उर्फ जीतू पुत्र रामलाल मीणा, निवासी मकान नं. सी–74 छत्रसाल नगर, सवाई गैटोर, जगतपुरा पुलिस थाना जवाहर सर्किल जयपुर (राज0)।

–अपीलाण्ट

वनाम

1. राजस्थान सरकार

–रेस्पोडेण्ट

निर्णय

दिनांक–18.06.2025

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील राजस्थान बंदी पैरोल रिहाई नियम 2021 के अंतर्गत जिला पैरोल परामर्शदात्री समिति जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.02.2025 के खिलाफ प्रस्तुत की गई है।

2. अपीलार्थी ने अपनी अपील में अंकित किया है कि अपीलार्थी जितेन्द्र मीणा उर्फ जीतू पुत्र रामलाल मीणा, निवासी मकान नं. सी–74 छत्रसाल नगर, सवाई गैटोर, जगतपुरा पुलिस थाना जवाहर सर्किल जयपुर वर्तमान में केन्द्रीय कारागृह जयपुर में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है। अपीलार्थी द्वारा प्रथम 20 दिवस नियमित पैरोल अवकाश हेतु आवेदन किया गया था जिस पर अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह जयपुर ने अपीलार्थी को 20 दिवस नियमित पैराल प्रकरण तैयार कर जिला मजिस्ट्रेट जयपुर (जिला पैरोल समिति जयपुर) को भिजवाया गया, दिनांक 21.02.2025 को जिला पैरोल समिति जयपुर की बैठक आयोजित हुई जिसमें जिला मजिस्ट्रेट जयपुर के आदेश दिनांक 28.02.2025 द्वारा अपीलार्थी का 20 दिवस नियमित पैरोल प्रकरण अस्वीकृत कर दिया गया।

अपीलार्थी ने अपनी अपील में यह भी अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा समाज में पुनः स्थापित होने हेतु प्रथम 20 दिवस नियमित पैरोल प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट जयपुर को प्रेषित किया गया था जो कि जिला कलक्टर जयपुर द्वारा खारिज कर दिया गया है अतः अपील प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी के 20 दिवस नियमित पैरोल प्रकरण पर पुनः विचार कर जिला पैरोल समिति जयपुर के आदेश दिनांक 28.02.2025 को अपास्त फरमाकर अपीलार्थी को 20 दिवस नियमित पैरोल पर रिहा करने के आदेश प्रदान करने का श्रम करावें ।

3. रेस्पोडेन्ट की ओर से अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (प्रभारी अधिकारी न्याय) व अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह जयपुर की रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें अंकित किया है कि पैरोल प्रकरण के संबंध में पुलिस उपायुक्त (अपराध), जयपुर के पत्रांक 163 दिनांक 19.02.2025 के सलंग्न पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व के पत्र क्रमांक 2673 दिनांक 18.02.2025 द्वारा प्राप्त रिपोर्ट अनुसार बंदी को मु0न0 29/2016 धारा 302, 34 भा0द0स0 एवं 3/25, 27 आर्म्स एक्ट पुलिस थाना जवाहर सर्किल जयपुर पूर्व में

संभागीय आयुक्त
जयपुर

आजीवन कारावास की सजा हुई है तथा बंदी के विरूद्ध 5 और प्रकरण दर्ज हुए हैं। अ0 स0 432/2013, 661/2013, 284/2014, 972/2014, 1323/2019 पुलिस थाना जवाहर सर्किल जयपुर पूर्व तथा सहायक पुलिस आयुक्त मालवीय नगर ने अपनी जांच रिपोर्ट में अंकित किया है कि बंदी के विरूद्ध कई प्रकरण दर्ज हुए है। बंदी गंभीर अपराध में सजा भुगत रहा है, पीडित पक्ष अभी भयभीत है तथा बंदी के परिवारजन द्वारा भी बंदी की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है। अतः सहायक पुलिस आयुक्त मालवीय नगर की जांच रिपोर्ट के आधार पर पैरोल पर रिहा किये जाने की अनुशंषा नहीं की गई है। जिस आधार पर सर्वसम्मति से बंदी के पैरोल प्रार्थना पत्र को उक्त बैठक में अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रकरण पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि राजस्थान कैदियों की पैरोल पर रिहाई नियम 2021 के नियम 15 के अनुसार पैरोल स्वीकृति को अच्छे आचरण को प्रोत्साहित करने का अवसर माना जाना चाहिये तथा कैदियों द्वारा पैरोल का अधिकार के रूप में दावा नही किया जावेगा तथा हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी बंदी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला पैरोल परामर्शदात्री समिति जयपुर के समक्ष समाज में पुनस्थापित होने के लिए 20 दिवस नियमित पैरोल स्वीकृत करने के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ जिला पैरोल परामर्शदात्री समिति जयपुर द्वारा उक्त बंदी के विरूद्ध कई प्रकरण दर्ज होने एवं गम्भीर अपराध कर सजा भुगतने के कारण प्रार्थना पत्र अस्वीकृत किये जाने के अपीलाधीन आदेश पारित किये गये हैं। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर जिला परामर्शदात्री सम्मति द्वारा प्रार्थना पत्र अस्वीकृत करने के संबंध में उचित तथ्य/कारण अंकित नहीं किये गये हैं। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण को पुर्नविचार हेतु प्रेषित किया जाना उचित समझते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण अधीनस्थ जिला पैरोल परामर्शदात्री समिति जयपुर को पुर्नविचार करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है।

(पूनम)
संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 18.06.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।